

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर

क्रमांक:सं.27(3)(6)पदो./अभि./24

दिनांक:

—:आदेश:—

अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक सं.(27)(3)(6)पदो./अभि./24 जयपुर दिनांक 19-05-2025 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम 1999 के नियम 32-33 के अंतर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर श्री श्रीराम सियाग ,कनिष्ठ सहायक को 2024-25 में वरिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर पदोन्नत कर, निदेशालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक सं.3-5(2)स्था/मंत्रा/अभि/2023 /526-675 दिनांक 22-05-2025 के द्वारा पदोन्नति पर इनका पदस्थापन उप निदेशक अभियोजन, चूरू में किया गया था। श्री श्रीराम सियाग द्वारा लिखित प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति परित्याग का अनुरोध किये जाने के फलस्वरूप इनको वर्ष 2024-25 में वरिष्ठ सहायक के पद की पदोन्नति परित्याग (forgo) करने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। इनका पदस्थापन पूर्व पदस्थापित स्थान कार्यालय उप निदेशक अभियोजन, बीकानेर में कनिष्ठ सहायक के पद पर यथावत रखा जाता है।

(रवि शर्मा)

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि:निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:—

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
3. उप निदेशक अभियोजन,बीकानेर/चूरू।
4. संस्थापन शाखा मंत्रालयिक वरिष्ठ/कनिष्ठ, अभियोजन निदेशालय राजस्थान जयपुर।
5. सम्बन्धित कार्मिक.....द्वारा:— संबंधित कार्यालयध्यक्ष।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर।

